प्रेस विज्ञप्ति

30.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के साहिबगंज से बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन और पत्थर खनिजों के बिना चालान के परिवहन की जांच के बाद धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरोपित संख्या 1), अशोक कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 2), सिद्धार्थ तुलस्यान, मेसर्स इको फ्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ("ईएफआईटी") के निदेशक (आरोपित संख्या 3), चमन तुलस्यान, मेसर्स ईएफआईटी के निदेशक (आरोपित संख्या 4), पुरुषोत्तम कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 5), और मेसर्स इको फ्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 6) के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त अभियोजन शिकायत में अपराध से अर्जित आय (पीओसी) के रूप में लगभग 5.39 करोड़ रुपये की राशि को ज़ब्त करने की प्रार्थना की गई है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत पीरपैंती रेलवे साइडिंग, भागलपुर, बिहार और मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अज्ञात रेलवे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। तीन अतिरिक्त प्राथमिकी (एफआईआर- पीएस पीरपैंती , बिहार; और एफआईआर- पीएस मिर्जा चौकी, साहेबगंज, झारखंड) को तत्काल ईसीआईआर में विलय कर दिया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड व इसके निदेशकों 2015 से मौज़ा जोकमारी, साहिबगंज से पत्थर खनिजों का बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन कर रहे थे। उन्होंने पीरपैंती रेलवे साइडिंग से बिना ज़रूरी जेआईएमएमएस ट्रांसपोर्ट चालान के 251 रेलवे रैक भेजे, जिससे उन्होंने लगभग 11.29 करोड़ रुपये (स्टोन चिप्स) और 5.94 करोड़ रुपये (बोल्डर) की रॉयल्टी की चोरी की। इस अवैध परिवहन को आसान बनाने के लिए रेलवे अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी गई थी। इसके बाद, अपराध से मिली रकम को नकली फर्मों — जिनमें मेसर्स डीएस बिटुमिक्स व मेसर्स करन इंटरनेशनल शामिल हैं — द्वारा जारी किए गए नकली इनवॉइस के ज़रिए घुमाया गया। इन फर्मों को मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के खातों से कुल लगभग 4.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, ताकि इस रकम को बेदाग संपत्ति के तौर पर दिखाया जा सके।

जांच के दौरान, 24.10.2024 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जोकमारी, साहिबगंज स्थित परिसर में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती अभिलेख, दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए; ज़ब्त की गई सामग्री को अपने पास रखने के लिए दायर एक मूल आवेदन को विद्वान न्याय-निर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए) ने दिनांक 04.04.2025 के आदेश के माध्यम से मंज़ूरी दे दी। आरोपित निदेशकों और महत्वपूर्ण गवाहों — जिनमें रेलवे अधिकारी और साहिबगंज के ज़िला खनन अधिकारी शामिल थे — के बयान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए।

आगे की जांच जारी है।